

बिहार सरकार,  
कार्मिक एवं प्रशासनिक कृत्तार विभाग

प्रेम्स,

श्री श्री 0 जम्कार,  
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार  
बिस्वामान भवन, पटना

अनापचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार, राँची

द्वारा-वित्त विभाग, बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक ५, 1981

विषय:- नई दिल्ली स्थित बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त के कार्यालय के अर्जित उप स्थानिक आयुक्त के पद का सुझाव

महोदय,

निदेशानुसार मुझे बचना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक कृत्तार विभाग के राज्यादेश संख्या-15011, दिनांक-31-10-80 द्वारा नई दिल्ली स्थित बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त के कार्यालय के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय केतनमान [80-1200-50-1300-60-1600-4000-60-1900-100-2000] में 200/-80 प्रतिमाह चिन्ने 7 केतन के साथ चुकित उप स्थानिक आयुक्त के पद का दिनांक-6-2-81 से 26-2-81 तक की अवधि धितार करने में राज्य सरकार को स्वीकृति संकुचित करनी है।

2) उप स्थानिक आयुक्त के इस ग्रेड सम्बन्धी पद की वर्तन स्थिति एवं दायित्व में आई०एस०एस० [पे०] रूल 1954 के नियम 9 के सिद्धांत 1111 को में उल्लिखित संयुक्त सचिव के सम्बन्धी पद के सम्बन्ध धाँधिल किया जाता है।

3) इस पद के धारक के केतन तथा अन्य भत्ते आदि का अनुमान-252-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-अन्य कार्यालय-विशेष आयुक्त-महालेखाकारी का केतन एवं भत्ता बजट शीट से होगा।

बिस्वामान,  
80/-

श्री श्री 0 जम्कार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

जाय संख्या-2390

पटना-15, दिनांक-9-6-81

प्रतिनिधि- वित्त विभाग/बजट शाखा/वित्त विभाग/50-1/ कार्मिक एवं प्रशासनिक कृत्तार विभाग/बजट शाखा/स्थानिक आयुक्त, बिहार, पटवक भवन, 5 औद्योगिक मार्ग, नई दिल्ली/ श्री एस० ये० चक्रवर्ती, उप-स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन बिहार भवन, 5 कोस्ट रोड मार्ग, नई दिल्ली को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।